वेबिनार : बौद्धिक संपदा का पेटेंट जरूर कराएं संस्थान

भोपाल(नवदुनिया रिपोर्टर)। शासकीय कला एवं वाणिज्य नवीन महाविद्यालय में शनिवार को 'बौद्धिक संपदा अधिनियम की मूल बातें' विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. राजीव चौबे ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. अजय कुमार भारद्वाज ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बौद्धिक संपदा और उसके पेटेंट, कॉपीराइट एवं अधिनियम के बारे में बताया।

कार्यक्रम के विशेष वक्ता डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि हम लोकल के लिए वोकल या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए बौद्धिक संपदा अधिनियम के अंतर्गत शोध को पेटेंट कराना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने बताया कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में जनजाति द्वारा औषधीयों पौधों के प्रयोग से चिकित्सा की जाती थी। यह ज्ञान तिब्बत से आया था। इन पौधों का वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद वहां की जनजाति के मुंपा नाम से इसे पेटेंट कराया गया है। इसी प्रकार हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्र अपने आसपास की संस्कृति एवं संसाधनों का अनुसंधान करके इसका पेटेंट करवा सकते हैं। आगे उन्होंने बताया कि अनुसंधान के लिए बौद्धिक संपदा अधिनियम का उच्च शिक्षा संस्थानों में बढ़ावा देने पर जो सांस्कृतिक वातावरण बनेगा उसका लाभ यहां से शिक्षित हुए छात्र सेवा क्षेत्र में जाने पर समाज व देश को प्रदान करेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग के संभागीय अतिरिक्त संचालक डॉ. एमएस रघुवंशी ने संबोधन में कहा कि इस वेबिनार से प्राध्यापक एवं छात्रों में अधिनियम के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ेगी। इससे महाविद्यालय को नैक में फायदा होगा।

"नवदुनिया" दिनांक 6.12.2020